१ मई २०१५ के बाद कराई जानेवाली सभी निर्वाचनों में बॅलेटींग युनीट पर प्रदर्शित किए जानेवाले मतपत्र/ई.व्ही.एम. में अभ्यार्थी यों के (उम्मीदवारें के)फोटो भी मुद्रीत होंगे। यह भारत के निर्वाचन आयोग का लोकतांत्रिक और संवैधानिक फैसला है।

देश को आज़ाद हुए ६८ साल बीत गये। फिर भी हमारे देश में जनता का, जनता ने, जनसहभाग से चलनेवाला लोकतंत्र नहीं आया। सिर्फ गोरे गए और काले आ गए हैं। चुनाव प्रक्रिया द्वारा सत्ता परिवर्तन भी आज़माया गया, लेकिन सत्तासीन हो जाने हर पार्टी पर वही सत्ता का रंग चढ जाता रहा है। आजादी के बाद हम अनुभव कर रहे हैं कि पक्ष-पार्टी बदल कर देश में सही परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक सही व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक देश में सही परिवर्तन नही आएगा। और वह व्यवस्था परिवर्तन पक्ष-पार्टी नहीं कर सकती। इसी लिए लोकतंत्र को देश में लाने के लिए देश की जनता को आज़ादी की दूसरी लडाई अहिंसा के मार्ग से लडनी होगी। इस लडाई में अपना वोट अपना शस्त्र है-हथियार है। वोट के इस शस्त्र को समझ बूझ कर चलाया जाए तो इस लडाई को जीता जा सकता है। इस लडाई में ना किसी को घायल करेंगे, ना ही हम भी घायल होंगे।

जुल्मकारी अंग्रेजों ने भारत की जनता पर घोर अन्याय, अत्याचार, ज़ुल्म किए। बाज़ आ कर देश की जनता ने सन् १८५७ में आज़ादी की जंग छेड दी। सन् १८५७ से ले कर १९४७ तक के ९० साल में देश की आज़ादी के लिए लाखों शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब जा के १५ अगस्त १९४७ को देश आज़ाद हुआ।

आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वाले इन शहीदों ने सपना देखा था जिसमें अन्यायी, अत्याचारी अंग्रेजों से भारत देश मुक्त होगा और देश में जनता का, जनता ने, जन सहभागिता से चलाया हुआ जनतंत्र, लोकतंत्र क़ायम करना होगा। अंग्रेज तो इस देश से चले गये, लेकिन देश में वह लोकतंत्र नहीं आया जो लोगों का, लोगों ने, लोग सहभागिता से चलाना था। उसके स्थान पर पक्ष-पार्टी तंत्र आ बैठा जिसने लोकतंत्र को देश में आने ही नहीं दिया।

सन् १९४९ में बने हमारे संविधान को लागू कर २६ जनवरी १९५० को देश में गणतंत्र आया। उस दिन से हमारे देश में प्रजा की सत्ता आ गई। प्रजा इस देश की मालिक हो गई, सरकारी तिजोरी जनता की तिजोरी हो गई। देश की मालिक जनता बन गई। ऐसे में आज़ादी के पहले से देश में चली आयी अलग-अलग पक्ष-पार्टियां बरखास्त हो जानी चाहिए थीं। महात्मा गांधी जी ने भी काँग्रेस के लोगों से कहा था कि अब काँग्रेस पार्टी बरखास्त करनी चाहिए। लेकिन काँग्रेस पार्टी प्रमुख ने पार्टी को बरखास्त नहीं किया।

आज़ादी के बाद सन् १९५२ में जब देश में पहला चुनाव आया, यद्यपि संविधान में पक्ष-पार्टी का नाम नहीं था, काँग्रेस वालों ने पार्टी द्वारा चुनाव लडने का निर्णय लिया जो कि संविधान के विरोध में था। फिर बाकी पार्टियाँ भी चुनाव के मैदान में उतर आईं। उसी वक्त तत्कालीन चुनाव आयोग ने संविधान में पक्ष-पार्टी का नामोल्लेख ना होने के कारण से यह आपत्ति उठाना ज़रूरी था कि आपका पक्ष-पार्टी के तहत चुनाव लडना संविधान विरोधी है। आप चुनाव नहीं लड सकते। लेकिन तत्कालीन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। इस कारण १९५२ का चुनाव हो गया।

सन् १९५२ से ले कर आज तक सभी पक्ष-पार्टियाँ संविधान विरोधी चुनाव करती आ रही हैं। चुनाव के कारण पक्ष-पार्टियों में सत्ता की स्पर्धा बढती गई। हर पक्ष-पार्टी सोचने लगी कि येन-केन प्रकारेण हमारी पार्टी ने चुन कर तो आना ही है और सत्ता क़ाबिज़ करनी है। फिर जिनको चुनाव का टिकट देना है वह उम्मीदवार गुंडा, भ्रष्टाचारी, लुटारू, व्यभिचारी है यह मालूम होते हुए भी केवल सत्ता में आने के लिए ऐसे लोगों को अपने पार्टी का चुनाव तिकीट देना शुरु हो गया। इस कारण संसद जैसे लोकशाही के पवित्र मंदिर में कई गुंडे, भ्रष्ट, व्यभिचारी, लुटारू लोग पहुंच गए। संसद में १७० से अधिक दागी सांसद हैं।

अलग-अलग पक्ष-पार्टियों ने गलत लोगों को चुनावी

टिकट दे कर भले ही गलती की, लेकिन मतदाताओं ने भी तो नहीं सोचा कि ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, मैं तो संविधान के मुताबिक सिर्फ चरित्रवान् व्यक्ति को जो किसी पक्ष–पार्टी का मेंबर नहीं हो ऐसे ही उम्मीदवार को वोट दूंगा। मतदाताओं में यह जागृति नहीं आ पायी। ना ही किसीने उनको जगाने का प्रयास भी किया। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज़ादी के ६८ साल में पक्ष–पार्टी वाले लोग सिर्फ अपने और अपने पार्टी के विकास ही की सोच रखते हैं। समाज और देश की सोच दूर होती जा रही है।

इस प्रकार पक्ष–पार्टियों के समूह संविधान बाह्य चुनाव करा कर संसद में जाते रहे हैं। इस कारण संसद में और बाहर भी पक्ष–पार्टी के समूह बन गए हैं। इन समूहों के कारण गुंडागर्दी बढ गई है, भ्रष्टाचार बढ गया है, जनता की तिजोरी की लूट बढ गई है। उनके विरोध में कोई आवाज उठाए तो संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी उन पक्ष–पार्टी के समूह लडाई के लिए खडे हो जाते हैं। पक्ष–पार्टी के समूहों ने देश में जाति–पाँति धर्म–वंश का जहर फैला दिया। इसी कारण हमारे देश में आज जाति–पाँतियों में झगडे–फ़साद होते हैं। संविधान के मुताबिक पक्ष–पार्टी विरहित चरित्रवान् उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप में चुन कर यदि संसद में जाते तो शायद जाति–पाँति, धर्म, वंश के आपस में झगडे–टंटे नहीं बढने थे। भ्रष्टाचार, लूट, गुंडागर्दी नहीं बढनी थी।

महात्मा गांधीजी का कहना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का सही विकास नहीं होगा। आज हमारे देश के अधिकांश गांवों में पक्ष–पार्टियों के समूहों ने गांव के लोगों में अपनी–अपनी राजनैतिक गुटबन्दी निर्माण कर दी जिसके कारण देश के अधिकांश गांवों में आपसी झगडे–फ़साद बढ गए हैं, गांव के विकास कार्य में बाधा पड गई है, गांव का विकास रुक गया है। सत्ता मंत्रालय में केंद्रित हो चुकी है। उसके विकेंद्रीकरण के लिए संसद में बैठी पक्ष–पार्टियाँ हरगिज़ तैयार नहीं हैं। गांव के जल, जंगल, ज़मीन का मालिक गांव है। केन्द्र या राज्य सरकार को गांव की कोई भी चीज यदि लेनी है तो ग्रामसभा की अनुमति के बिना नहीं ले सकती, ऐसा कानून देश में हो पाता तो लोकतंत्र आ सकता था। लेकिन पक्ष–पार्टियों को ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होने देते।

युवाशक्ति हमारी राष्ट्रशक्ति है। इस युवाशक्ति को यदि विधायक कार्य के साथ जोडा जाता तो समाज और देश का उज्वल भविष्य दूर नहीं था लेकिन, आज पक्ष–पार्टियों के समूहों ने महाविद्यालयीन युवकों में अलग–अलग पक्ष–पार्टी के ग्रुप बना कर झगडे लगा दिए हैं। जिनके चलते कई स्थानों पर कुछ युवकों की हत्या तक हो गई है। जो युवाशक्ति राष्ट्रविकास कार्य में लगनी चाहिए थी वह आपसी झगडों में लगाई गई है।

संविधान के मुताबिक संसद को हम लोकसभा कहते हैं जो कि लोगों की सभा होनी चाहिए थी। यदि संविधान के मुताबिक पक्ष–पार्टी विरहित चरित्रवान् व्यक्तियों को चुन कर जनता ने संसद में भेजा होता तो वह लोगों की सभा हो सकती थी। लेकिन आज पक्ष–पार्टियों समूह के उम्मीदवार चुन कर जाने के कारण लोगों की सभा ना रहते संसद पक्ष–पार्टी की सभा बन गई है।

अधिकांश पक्ष–पार्टियों ने मिल कर तय किया है कि पार्टी को चुनाव के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए पार्टी को २०,०००/– बीस हजार रुपये तक का डोनेशन कोई देता है तो उसका हिसाब जनता को देने की जरूरत नहीं है।

आज पक्ष–पार्टियाँ उद्योगपतियों से लाखों–करोडों रुपयों का डोनेशन लेते हैं जिसके २०,०००/– बीस हजार रुपयों के टुकडे कर उनको छगन, मगन, ढीकला, फलाणा आदि जाली नाम दे कर यह काला धन कई पक्ष–पार्टी के माध्यम से सफेद होता है। देश के लिए यह बडा खतरा बन गया है। संसद में बैठे सांसद आवास के लिए बंगला, मोटर, रेल तथा विमान किराये में रियायत, बिजली, टेलिफोन इस प्रकार की कई लाख रुपयों की लागत वाली सुविधाएं लेते हैं। हर माह पचास हजार रुपये तनखा भी लेते हैं। फिर भी अधिकांश पक्ष–पार्टी के सांसद इकट्ठे हो कर, मिल जुल कर संसद में कहते हैं कि पचास हजार रुपये तनखा पर्याप्त नहीं है, एक लाख होनी चाहिए। आपस की मिली भगत से जनता का पैसा बाँट खाने का फैसला बिना जनता को पूछे कैसे करते हैं? तनखा तो एक लाख रुपया मांगते हैं और अधिवेशन काल में एक–एक माह झगडों में बिताते हैं। जनता का करोडों रुपया बरबाद करते हैं। यह देश के लिए ठीक नहीं है। संविधान के मुताबिक पक्ष–पार्टी विरहित जनता के चरित्रवान् प्रतिनिधि अगर संसद में जा पाते तो शायद ऐसा

नहीं होता था।

इन बुराइयों को हटाने के लिए चरित्रवान् व्यक्तियों का बिना पक्ष–पार्टी के सहारे व्यक्तिगत रूप में संसद में चुन कर जाना ज़रूरी है। इस बदलाव की चाभी देश की मतदाता जनता के हाथ में है। लेकिन मतदाता इस चाभी को लगाना भूल बैठा है। तभी तो १००/२००/५०० रुपयों के नोट को ले कर अपना वोट गलत उम्मीदवार को दे देता है। ढाबे में पार्टी मिल जाए तो अपना क़ीमती मत गुंडा, भ्रष्ट, लुटारू, व्यभिचारी को दे बैठता है। अब मतदाताओं ने भारत माँ की कसम खा कर प्रतिज्ञा करनी है कि, अब मैं किसी भी पक्ष–पार्टी के भ्रष्टाचारी, गुंडा, व्यभिचारी, लुटारू उम्मीदवार को मेरा अमूल्य वोट हरगिज नहीं दूंगा। सिर्फ चरित्रवान् उम्मीदवार जो पक्ष–पार्टी के परे है, ऐसे जनता के उम्मीदवार को ही मेरा वोट दूंगा। ऐसी जागृति यदि मतदाताओं में आ जाए तो कभी न कभी एक दिन ऐसा भी आयेगा कि जनता ने, जनता की सहभागिता से, जनता के लिए चलाया हुआ लोकतंत्र देश में आयेगा। जिस दिन देश में ऐसा लोकतंत्र आएगा उस दिन देश की जनता स्वतंत्रता या प्रजातंत्र का अनुभव करेगी।

२६ जनवरी १९५० से हर मतदाता इस देश का राजा बन गया है। इस राजा ने अपने सेवकों की तौर पर विधायक, सांसद को चुनकर भेजे हैं। सभी मतदाता देश के मालिक हैं और सभी जनप्रतिनिधि जनता के सेवक हैं। लेकिन आज जनप्रतिनिधि पक्ष–पार्टी केहैं इस लिए देश के वे मालिक बन गए और जनता को सेवक बना दिया है। इसको बदलना होगा।

यदि जनता मालिक है और जनप्रतिनिधि जनता के सेवक हैं तो अगर सेवक ठीक कार्य नहीं करते हैं तो मालिक को उनको निकालने का अधिकार होना चाहिये। इसलिए राईट टू रिकॉल, राईट टू रिजेक्ट जैसे सशक्त कानून बनने चाहिये। लेकिन संसद में पक्ष–पार्टी के प्रतिनिधि जा बैठे हैं जो ऐसे कानून बनाना नहीं चाहते हैं। यह तो तभी सम्भव होगा जब जनता अपने चरित्रवान् उम्मीदवार संसद में भेजे। लोकतंत्र की मज़बूती के लिए ऐसे कानून बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

जनता का पैसा सरकार की तिजोरी में जमा होता है। उन पैसों से देश में एंजिनियरींग, मेडिकल जैसे उच्च शिक्षा के कॉलेज चलाए जाते हैं। उन कॉलेजों में गरीब, अमीर सब को समान हक़ मिलना जरूरी है। लेकिन उच्च शिक्षा के इन महाविद्यालयों का पक्ष–पार्टी समूह ने आपस में बँटवारा कर लिया है। और पैसा कमाने की दूकानें लगाए बैठे हैं। और साधारण गरीब घर का छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाता है। संविधान के मार्गदर्शक तत्वों के विरोध में यह हो रहा है।

टू जी स्पेक्ट्रम, बोफोर्स, हेलिकॉप्टर, कोयला जैसे करोडों रुपयों के घोटाले होते हैं जो पक्ष–पार्टियों के समूह के कारण होते हैं। जनता के उम्मीदवार व्यक्तिगत चुनाव लड कर संसद में जा पाते तो सम्भवत: ऐसे घोटाले नहीं हो पाते।

आज पक्ष–पार्टियों के समूहों की गिरफ्त में जकड कर जिस रास्ते यह देश जा रहा है उस रास्ते से इस देश को उज्वल भविष्य मिलना असंभव लगता है। इस रास्ते से देश में लोकतंत्र का आना संभव नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि, सन् १८५७ से १९४७ तक जिन लाखों शहीदों ने लोकतंत्र को लाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, जेल की यातनाओं को भुगता, भूमिगत रह कर अनंत हाल–अपेष्टाएं सहीं, क्या उनकी उन नब्बे सालों की कुर्बानी फ़िज़ूल गई?

अब हम देशवासियों को फिर से प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम उन शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अहिंसा के मार्ग से आज़ादी की दूसरी लडाई लडेंगे, पक्ष–पार्टी को वोट ना देते हुए पक्ष–पार्टी विरहित जनता के उम्मीदवार को चुन कर संसद में भेजेंगे, आज के संविधान विरोधी पक्ष–पार्टीतंत्र को बरखास्त कर देंगे, और उन शहीदों का सपना – जनता का, जनता ने, जनसहभागिता से चलाया हुआ लोकतंत्र इस देश में लायेंगे।

आज़ादी की इस दूसरी लडाई में शामिल होनेवाले सैनिकों का गांव स्तर से देश स्तर तक हर राज्य में संगठन करना होगा। संगठन में आने वाले सैनिकों का आचार–विचार शुद्ध हो, जीवन निष्कलंक हो, कोई उनकी निंदा करे तो अपमान को पी जाने की शक्ति हो। उन्हें अपना घर–बार छोडने की जरूरत नहीं है। अपना गांव, अपना मोहल्ला, अपना परिसर, तहसिल, ज़िले में जा कर मतदाताओं को जगाना भर होगा। जागृत मतदार ही लोकशाही का आधार है।

कुछ लोग यूं कहते हैं कि पक्ष–पार्टियाँ हट जाएगी तो देश का कारोबार कैसे चलेगा? यह भी तो एक अज्ञान मूलक धारणा है। संसद में जानेवाले सांसद पक्ष–पार्टी के नहीं होंगे,

वे जनता के भेजे हुए पक्ष–पार्टी विरहित चरित्रवान् सांसद होंगे। संविधान में सभी सांसदों के लिए मार्गदर्शक तत्व बना रखे हैं। उन्हींका अनुसरण करते हुए अपना कार्य करने में निर्दलीय जनता के सांसदों को कोई भी कठिनाई नहीं होगी। प्रधान मंत्री, सभापति, आदि कैसे चुने जाएं इन बारे में विस्तृत मार्गदर्शन हमारे संविधान में मौजूद है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लाखों शहीदों का लोकतंत्र का सपना यदि पूरा करना हो तो पक्ष–पार्टीतंत्र को बरखास्त करना ही होगा और वैसा करने की चाभी देश के मतदाताओं के हाथ में है। किसी से भी झगडा–फ़साद ना करते हुए अहिंसा के मार्ग से जनता सिर्फ अपने वोट के बल पर देश में लोकतंत्र ला सकेगी।

यह काम आसानी से नहीं होने वाला। आजादी के बाद ६८ साल की आदतें जल्दी नहीं जाने वाली। हर घर में भाई–भाई अलग–अलग पार्टियों से जुडे हुए हैं। ऐसे हालात में पक्ष–पार्टी तंत्र को हटाना आसान नहीं है। लेकिन आने वाले पांच, दस, बारह सालों में समविचारी लोगों ने संगठित हो कर देश के गांव–गांव में जा कर लोकशिक्षा, लोकजागृति का प्रयास अगर किया तो पक्ष–पार्टियाँ नेस्तनाबूद हो सकेंगी और देश में लोकतंत्र आ पाएगा।

हमारे संविधान के अनुच्छेद ८४ (क) और (ख) में कहा है कि, ''कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब– वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु है।'' संविधान में पक्ष–पार्टी के समूहों के चुनाव लडने की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। फिर सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में पक्ष–पार्टी के समूह चुनाव में कैसे और क्यों आए? दर असल पार्टियाँ लोकतंत्र का गला घोट कर सरकार बनाने लगी। संविधान द्वारा परिकल्पित अन्तिम आदमी की निर्दल सरकार की स्थापना है जिसमें सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष न हो एवं उम्मीदवार, प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के हित प्रति सजग और जनता के प्रति जवाब देह रहे। लोकतन्त्र का सीधा सम्बन्ध जवाबदेही से है, यह जवाबदेही प्रतिनिधि किसके प्रति? आज चुनाव चिह्न की वजह से प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होने के बजाए पार्टी के प्रति जवाबदेह हो गया है। सरकार भी पार्टी के चुनाव चिह्न की वजह से पार्टियों की सरकार बनती है न कि जनहित में।

निर्वाचन आयोग द्वारा एक अच्छा निर्णय लिया गया है। १ मई २०१५ के बाद कराए जानेवाले सभी निर्वाचनो में इलेक्ट्रीक मशीन वोटींग की बॅलेटींग युनिट पर प्रदर्शित किए जानेवाले मतपत्र तथा डाक मतपत्र में विद्यमान निर्देश के अनुसार विवरणों के अतिरिक्त इस पर अभ्यार्थीयों के फोटो भी मुद्रित होंगे ऐसा निर्णय लिया गया है। अभ्यार्थीयों के फोटो अभ्यार्थीयों के नाम पॅनल में मुद्रित होंगे। अभ्यार्थी के नाम तथा प्रतीक (आकृती) के मध्य में नाम के दाहिने और मत प्राथमिकता चिन्हीत करने के कॉलम होंगे। चुनाव आयोग ने १ मई २०१५ को निर्णय लिया है।

अब हम देश की जनता इकठ्ठा हो कर चुनाव आयोग से बिनती करनी है कि, आपने मतपत्र में ई.व्ही.एम. पर प्रत्याशीयों के फोटो लगाना सुनिश्चित किया यह लोकतांत्रिक और संवैधानिक फैसला है। लेकिन अब किसी फोटो के साथ प्रतीक (आकृती) की जरुरत नही रह जाती है। ऐसा प्रतीक (आकृती) रखना घटना बाह्य होगा। हम सभी जनताने मतपत्र/ई.व्ही.एम. पर से चुनाव प्रतीक (आकृती) को हटाने का आग्रह करना होगा क्योंकि ऐसा प्रतिक (चिन्ह) घटनाबाह्य है। अगर चुनाव प्रतीक हट जाए तो देश में लोकतंत्र आना आसान होगा। चलो चुनाव चिन्ह हटाने के लिए हम आजादी की दूसरी लडाई के लिए संगठित होते है।

इस लडाई के लिए अपने नाम, पता, ईमेल, मोबाईल नंबर नीचे के पते पर भेजे।

भारत माता की जय।

वन्दे मातरम्।

(कि. बा. तथा अण्णा हजारे)

टीप : यह पत्रक कोई भी व्यक्ती लोकशिक्षा और लोकजागृती के लिए छपकर जनता को बाट सकती हैं ।

भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास
निर्भय बनो
राळेगण सिध्दी, ता. पारनेर,जि. अहमदनगर, पिन ४१४३०२ (महाराष्ट्र)
फोन : ०२४८८–२४०४०१ मो. नं. ०९८५०२०००९०
Email: annahazareoffice1@gmail.com
www.annahazare.org | www. joinannahazare.org. in